



2026:AHC:165379-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 22474/2026

मॉडर्न गार्डन सहकारी आवास समिति लिमिटेड एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कृपा शंकर पांडेय

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., कृष्ण दत्त अवस्थी, रवि आनंद अग्रवाल

न्यायालय संख्या - 40

माननीय न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु चौहान

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता एवं प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि आनंद अग्रवाल को सुना।

2. याचिकाकर्तागण ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से अपर आवास आयुक्त/अपर रजिस्ट्रार, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2026 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 128 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता संख्या 2 के प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता संख्या 2 मॉडर्न गार्डन सहकारी आवास समिति लिमिटेड का सचिव होने का दावा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंध समिति ने याचिकाकर्ता संख्या 2 को सचिव के पद से हटाने के लिए एक संकल्प दिनांक 08.01.2026 पारित किया था। उक्त संकल्प से क्षुब्ध होकर, याचिकाकर्ता संख्या 2 ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष एक प्रत्यावेदन योजित किया,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसमें प्रबंध समिति द्वारा उक्त संकल्प पारित करते समय कथित रूप से की गई अवैधताओं को रेखांकित किया गया था।

4. उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 128 के परंतुक के अनुपालन में, प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने मामले को पुनर्विचार के लिए प्रबंध समिति के पास प्रति-प्रेषित कर दिया। यद्यपि, प्रबंध समिति ने अपने पूर्व संकल्प की पुनः संपुष्टि की। तत्पश्चात, प्रत्युत्तरदाता संख्या 2-अपर आवास आयुक्त/अपर रजिस्ट्रार, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद ने उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 128 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंध समिति के संकल्प की संपुष्टि की और याचिकाकर्ता संख्या 2 के प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया।

5. आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 2, उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 128 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय, एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और इसलिए, उससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश एक अकारण आदेश है क्योंकि प्रबंध समिति के संकल्प को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा उठाए गए किसी भी आधार पर प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा न तो विचार किया गया है और न ही उनका न्यायनिर्णयन किया गया है। इसलिए, यह तर्क किया गया है कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में रक्षणीय नहीं है।

6. हमने आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया है और पाया कि जिन आधारों पर प्रबंध समिति के संकल्प को याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा चुनौती दी गई थी, उन पर प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा प्रत्यावेदन का निर्णय करते समय ध्यान नहीं दिया गया है। प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, आक्षेपित आदेश से यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने संकल्प पारित करते समय प्रबंध समिति द्वारा कथित रूप से की गई अवैधताओं के संबंध में याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया है और कोई निष्कर्ष दर्ज किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त के आलोक में, हमारा यह सुविचारित मत है कि आक्षेपित आदेश विधितः रक्षणीय नहीं है और तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। प्रकरण को प्रत्युत्तरदाता संख्या 2-अपर आवास आयुक्त/अपर रजिस्ट्रार, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को प्रति-प्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ता संख्या 2 को उचित नोटिस और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विधि विधि के दृढ़ अनुपालन में नए सिरे से प्रत्यावेदन पर निर्णय लें।

8. यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यावेदन के निस्तारण तक, यदि प्रश्नगत संकल्प के अनुक्रम में किसी व्यक्ति को समिति की प्रबंध समिति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है या प्रभार दिया गया है, तो ऐसी व्यवस्था प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा लिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश को याचिकाकर्ता संख्या 2 के विरुद्ध लंबित किसी भी जांच के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त करने के रूप में नहीं समझा जाएगा। ऐसी कोई भी जांच, यदि लंबित है, तो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी।

10. रिट याचिका को, तदनुसार, ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

6 अगस्त, 2026

गौरव

(न्यायमूर्ति श्री सुधांशु चौहान) (न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।